कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 769 / तकनीकी / 2007 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2007.

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– दिनांक 31.1.2006 के पश्चात् निष्पादित मुख्तारनामें के विलेखों पर देय शुल्क के संबंध में ।

---0---

जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय स्टाम्प (म0प्र0 संशोधन) अधिनियम, (क्रमांक 5 सन् 2006) द्वारा दिनांक 1.2.2006 से प्रभावी संशांधन उपरांत मुख्तारनामे के विलेखों पर देय मुद्रांक शुल्क के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :–

जब मुख्तारनामा प्रतिफल के बिना दिया गया है और अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थावर सम्पत्ति को विक्रय, दान विनिमय अथवा स्थायी रूप से अन्य संक्रांत करने के लिये प्राधिकृत करता है –

(एक)	इसके निष्पादन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिये;	एक सौ रूपये.
(दो)	इसके निष्पादन की तारीख से एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये या जबकि वह अप्रतिसंहरणीय हो, या जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो.	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र. 22) पर लगता है.''

अतः दिनांक 1.2.2006 या इसके पश्चात् निष्पादित अचल संपत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाले मुख्तारनामे के विलेखों का, जो एक वर्ष से अधिक या अनिश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित हो अथवा अप्रतिसंहरणीय हो, परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि उन पर उपर्युक्तानुसार शुल्क वसूल किया गया है । यदि नहीं तो अपर्याप्त मुद्रांकित पाए गये विलेखों पर नियमानुसार मुद्रांक प्रकरण दर्ज कर कमी शुल्क वसूली की कार्यवाही करें ।

आपके द्वारा इस संबंध मे अब तक क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जानकारी संलग्न प्रारूप में तत्काल प्रेषित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार.

हस्ता / –
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

संलग्न प्रारूप

स.क्र.	दस्तावेज क्रमांक एवं दिनांक	देय मुद्रांक शुल्क.	चुकाया गया शुल्क	अंतर की राशि	मुद्रांक प्रकरण क्रमांक व दिनांक	वसूली की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7